रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत गठित एक वैधानिक बल है। यह संघ का एक सशस्त्र बल है।

***रेलवे संपत्ति की आवाजाही में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए।**

***संघ के सशस्त्र बल के अन्य कार्यों को करने के लिए और भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 के तहत या के तहत एक रेल कर्मचारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए।"**

***संभावित स्थितियों की पहचान करने के लिए जहां अपराध हो सकता है (रेलवे संपत्ति के खिलाफ, चाहे वह स्थिर, पारगमन या मोबाइल हो) और उपचारात्मक उपायों को प्रभावित करें।**

***ट्रेनों, रेलवे परिसर और यात्री क्षेत्र से सभी असामाजिक तत्वों को हटाकर यात्री-यात्रा और सुरक्षा को सुगमबनाना।**

***महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सतर्क रहें और रेलवे क्षेत्रों में पाए जाने वाले बे-सहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए उचित कार्रवाई करें।**

***भारतीय रेलवे की दक्षता और छवि को सुधारने में रेलवे के अन्य विभागों के साथ सहयोग करना।**

***शासकीय रेलवे पुलिस/स्थानीय पुलिस और रेल प्रशासन के बीच एक सेतु का कार्य करें।**

***इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आधुनिक तकनीक, सर्वोत्तम मानवाधिकार प्रथाओं, प्रबंधन तकनीकों औरमहिला और बुजुर्ग यात्रियों और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष उपायों को सक्रिय रूप से अपनाएं।**

***रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1966 के तहत पंजीकरण और पूछताछ करना, अपराधियों को पकड़ना और बाद की कानूनी कार्यवाही में भाग लेना।**

आरपीएफ अधिनियम 1957 संशोधित 2003 की धारा 11 के अनुसार बल के सदस्यों के कर्तव्य:-
(ए) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा उसे कानूनी रूप से जारी किए गए सभी आदेशों का पालन करने और निष्पादित करने के लिए तत्काल।
(बी) रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए,
(सी) रेलवे संपत्ति या यात्री क्षेत्र की आवाजाही में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए।
(डी)रेलवे संपत्ति,यात्री क्षेत्र और यात्री की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अनुकूल कोई अन्य कार्य करने केलिए।

लक्ष्य
हम करेंगे----------
*रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्र और रेलवे संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा करना।
*संरक्षा,सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारतीय रेल में यात्रीयों के विश्वास में वृद्धि करना ।

उद्देश्य
हम करेंगे----------
*रेलवे यात्रियों, यात्री क्षेत्र और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में अपराधियों के खिलाफ एक अथक लड़ाई जारी रखें।
*ट्रेनों, रेलवे परिसर और यात्री क्षेत्र से सभी असामाजिक तत्वों को हटाकर यात्री-यात्रा और सुरक्षा को सुगम बनाना।
*महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सतर्क रहें और रेलवे क्षेत्र में पाए जाने वाले बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए उचित कार्रवाई करें।

*भारतीय रेलवे की छवि और गुणवत्ता को सुधारने में रेलवे के अन्य विभागों के साथ सहयोग करना।
*राजकीय रेलवे पुलिस/स्थानीय पुलिस और रेलवे के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना।
*इन उदश्यों के प्राप्ति हेतु समस्त आधुनिक टकनिकों का उपयोग, सर्वोतम मनवाधिकारों का पालन, प्रबंधकौशल तथा महिलाओं, बुजर्गों एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु विशेष उपाय करना ।

A) आरपीएफ अधिनियम 1957 के तहत शक्तियां (संशोधन 2003)
धारा 12 – बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्तियाँ:-
बल का कोई भी सदस्य मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है:

(i) कोई भी व्यक्ति, जो स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, या स्वेच्छा से चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, या गलत तरीके से रोकता है या गलत तरीके से रोकने का प्रयास करता है, या हमला करता है, हमला करने की धमकी देता है, या उपयोग करता है या धमकी देता है या आपराधिक बल का उपयोग करने का प्रयास करता है या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य के निष्पादन में बल का कोई अन्य सदस्य, या उसे ऐसे सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या रोकने के इरादे से या परिणाम में या उसके द्वारा कानूनी रूप से निर्वहन में किए गए या किए जाने का प्रयास किया गया कुछ भी ऐसे सदस्य के रूप में उसका कर्तव्य; या

(ii) कोई भी व्यक्ति जो चिंतित है या जिसके खिलाफ उसके संबंध में उचित संदेह मौजूद है, या जो परिस्थितियों में अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए सावधानी बरतता है, जो यह मानने का कारण देता है कि वह इस तरह की सावधानी बरत रहा है। एक संज्ञेय अपराध करने के लिए जो रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों से संबंधित है।

(iii) कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में रेलवे की सीमा के भीतर अपनी उपस्थिति को छुपाने के लिए सावधानी बरतता हुआ पाया जाता है, जो यह मानने का कारण है कि वह रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की चोरी या नुकसान की दृष्टि से ऐसी सावधानी बरत रहा है।

(iv) कोई भी व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है जिसमें रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों से संबंधित किसी भी कार्य को करने में लगे किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए आसन्न खतरा शामिल है या शामिल होने की संभावना है।

धारा 13 - वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति :-

1. जब भी बल के किसी सदस्य, जो वरिष्ठ रक्षक के पद से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 12 में निर्दिष्ट ऐसा कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है और यह कि तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अपराधी को अपराध के साक्ष्य से बचने या छिपाने का अवसर देता है, वह उसे रोक सकता है और उसके व्यक्ति और सामान की तुरंत तलाशी ले सकता है और, यदि वह उचित समझता है तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसके पास अपराध करने का विश्वास करने का कारण है।

2. उस कोड के तहत खोजों से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का प्रावधान, जहां तक मई, इस धारा के तहत खोजों पर लागू किया जाएगा।

ख. रेलवे अधिनियम 1989 (संशोधित 2003) के तहत 01.07.2004 से शक्तियां
बल का कोई भी सदस्य निम्नलिखित अपराधों के लिए रेलवे अधिनियमों के प्रावधान का उल्लंघन करने वालों का पता लगा सकता है और उन पर मुकदमा चला सकता है।

I			
I	धारा	137	बिना उचित पास या टिकट के कपटपूर्वक यात्रा करना।
II	धारा	138	बिना टिकट यात्रा करने के लिए अतिरिक्त शुल्क और किराए की वसूली।
III	धारा	139	किराया देने से इंकार करने वाले व्यक्तियों को हटाने की शक्ति।
IV	धारा	141	संचार के साधनों में अनावश्यक रूप से दखल देना ।
V	धारा	142	टिकटों के हस्तांतरण के लिए जुर्माना।
VI	धारा	143	टिकटों की अनधिकृत बिक्री के लिए जुर्माना।
II			
I	धारा	144	अनधिकृत हॉकिंग और भीख मांगना।
II	धारा	145	नशे या उपद्रव।
III	धारा	146	रेल सेवक को उसकी ड्यूटी में बाधा डालना।
IV	धारा	147	अतिचार।
IV	धारा	153	जान-बूझकर या चूक से रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना।
VI	धारा	154	यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना।
III			
I	धारा	155	आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करना या आरक्षित डिब्बे में प्रवेश का विरोध करना।
II	धारा	156	ट्रेन की छत, सीढ़ियों या इंजन पर यात्रा करना।
III	धारा	157	पास या टिकट से बदलना या बिगाड़ना।
IV	धारा	159	वाहन चालकों या कंडक्टरों द्वारा रेल सेवकों के निर्देश की अवज्ञा
V	धारा	160	समपार फाटक खोलना या तोड़ना।
VI	धारा	161	मानवरहित समपार को लापरवाही से पार करना।
IV			
I	धारा	162	महिलाओं के लिए आरक्षित कैरिज या स्थान में प्रवेश करना।
II	धारा	163	माल का गलत हिसाब देना।
III	धारा	164	रेलवे पर अवैध रूप से खतरनाक सामान लाना।
IV	धारा	165	रेलवे पर अवैध रूप से आपत्तिजनक सामान लाना।
V	धारा	166	सार्वजनिक सूचनाओं को विकृत करना।
VI	धारा	167	धूम्रपान।
V			
I	धारा	172	नशा के लिए दंड।

II	धारा	173	बिना प्राधिकार के ट्रेन आदि का परित्याग।
III	धारा	174	ट्रेनों के संचालन में बाधा आदि।
IV	धारा	175	नियमों की अवहेलना कर लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना।
V	धारा	176	लेवल क्रॉसिंग में बाधा

उपरोक्त अपराधों के लिए इस प्रकार पकड़े/पहचाने गए और गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर "अधिकृत अधिकारी" (मामले की जांच के बाद) द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा।